



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226079
CG-DL-E-24032021-226079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943

No. 99]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

[मामला संख्या: एडी (एसएसआर) -04/2021]

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां सं निर्यातित “पीवीसी फ्लैक्स फिल्म” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/04/2021-डीजीटीआर.—1. ऑल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पायोनियर पॉलीलेडर्स लिमिटेड, क्यूरेक्स फ्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा एसआरएफ लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक उत्पादक” भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पीवीसी फ्लैक्स” (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटन, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी जारी है और यदि शुल्क समाप्त होता है तो क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से पीवीसी फ्लैक्स फिल्म के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 1 फरवरी, 2010 को शुरू की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 22 जून, 2010 के प्रारंभिक जांच परिणामों द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे अधिसूचना सं. 79/2010-सीमाशुल्क दिनांक 30 जुलाई, 2010 के माध्यम से लगाया गया था। विस्तृत जांच के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/4/2010-डीजीएडी, दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को अधिसूचना सं. 82/2011-सीमाशुल्क दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा कार्यान्वित किया गया।
4. प्राधिकारी ने दिनांक 27 जुलाई, 2015 को निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की और अधिसूचना सं. 15/13/2015-डीजीएडी 30 जून, 2016 के अपने अंतिम जांच परिणाम में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 42/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 द्वारा उक्त अंतिम जांच परिणाम को लागू किया। मौजूदा शुल्क 7 अगस्त, 2021 को समाप्त हो जाएगा।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “पीवीसी फ्लैक्स फिल्म” है, जिसे पीवीसी फ्लैक्स फिल्म बैनर और विज्ञापन बोर्डों के लिए पीवीसी फ्लैक्स शीट, बिल बोर्ड और पीवीसी फ्लैक्स तारपोलीन आदि के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित बाहर हैं :
 - i. पीवीसी फिल्म
 - ii. पीवीसी रिजिड फिल्म
 - iii. कॉटन/केनवास तारपोलीन
 - iv. सेल्फ अधेसिव विनाइल
 - v. वन वे विजन फिल्म/परफोरेटेड विंडो फिल्म
 - vi. कलर्ड विनाइल
 - vii. मेश बैनर/फैब्रिक
6. पीवीसी फ्लैक्स फिल्म एक मल्टी लेयर पीवीसी फिल्म होती है जिसमें रीइनफोर्समेंट टेक्स्टाइल का सेंडविच लेमिनेशन होता है। उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्रियां पीवीसी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) और डीओपी हैं। पीवीसी फ्लैक्स फिल्म को लेमिनेशन प्रक्रिया या कोटिंग प्रक्रिया के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है। लेमिनेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कच्ची सामग्रियों को लुब्रीकेंट, स्टेपलाइजर, ब्राइटेनिंग एजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य अभिवर्धकों के साथ मैनुअल/आटो मिक्सचरों के माध्यम से पीवीसी यौगिक बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। पीवीसी यौगिक को पीवीसी फिल्म के उत्पादन हेतु एक कैलेंडर में अंतरित किया जाता है। अंततः लेमिनेटर में पालिस्टर फैब्रिक के साथ-साथ पीवीसी फिल्म की दो परतें (टॉप और बॉटम फिल्म) डाली जाती हैं जिनमें फैब्रिक पीवीसी फिल्म की दो परतों के बीच सेंडविच होता है और लेमिनेटेड फ्लैक्स फिल्म बनाने के लिए ताप द्वारा लेमिनेटेड होता है।
7. कोटिंग प्रक्रिया जिसमें पीवीसी फ्लैक्स फिल्म को पीवीसी के साथ पॉलिएस्टर फैब्रिक की कोटिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है, पूर्ववर्ती जांचों में यह निष्कर्ष निकला था कि लेमिनेशन प्रक्रिया या कोटिंग प्रक्रिया के प्रयोग से उत्पादित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।
8. यह उत्पाद टैरिफ कोडों 3920 43 00, 3920 49 00, 3921 12 00 तथा 3921 90 26 के अधीन अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोडों 3920 99 22, 3920 99

29, 3920 99 32, 3930 99 39 और 3921 90 29 के अंतर्गत भी आयातित किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और भारत में आयातित संबद्ध वस्तु एक समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है। भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

10. यह आवेदन ऑल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएलएफएमए) द्वारा घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। आवेदन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उत्पादकों ने अपनी लागत और क्षति सूचना प्रदान की है।

क. पायनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड,

ख. क्यूरेक्स फ्लैस प्राइवेट लिमिटेड और

ग. एसआरएफ लिमिटेड

आवेदक उत्पादकों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

11. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदक उत्पादकों का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियमावली नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना है।

कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को अनुबंध-I नियम के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
13. आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा समुचित तीसरे देश कोरिया गणराज्य से भारत को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया है। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया है। हितबद्ध पक्षकार कोरिया गणराज्य को समुचित तीसरे देश के रूप में चुने जाने के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय तथा अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

15. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यातित होना जारी है।

पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

16. पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों में गिरावट केवल शुल्क लागू होने के कारण हुई है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

18. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

19. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019, अप्रैल, 2019- मार्च, 2020 तथा जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

20. इस समीक्षा जांच में चीन जन.गण. से पीवीसी फ्लैक्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने वाली दिनांक 30 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 15/13/2015-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।
21. संबंधित नियमावली नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in तथा jd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in तथा jd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों के बीच प्रतिउत्तरों/अनुरोधों को शेयर करना

37. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

[Case No. AD (SSR)–04/2021]

Subject : Initiation of sunset review investigation concerning imports of PVC Flex Film originating in or exported from China PR

No. 7/04/2021-DGTR.—1. All India Laminated Fabric Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of Pioneer Polyleathers Limited, Qrex Flex Private Limited and SRF Limited (hereinafter also referred to as the “applicant producers”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of sunset review investigation concerning imports of PVC Flex Film (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as “subject country”).

2. The applicant has alleged that dumping from the subject country has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury in case of cessation of duties. The applicant has requested for extension of duties on imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of PVC Flex Film from subject country was initiated on 1st February 2010 by the Designated Authority. The Designated Authority recommended provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 22nd June 2010, which was imposed vide Notification No. 79/2010-Customs, dated 30th July 2010. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country vide final findings notification no. 14/4/2010-DGAD, dated 29th July 2011. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 82/2011-Customs, dated 25th August 2011.

4. The Authority initiated sunset review investigation on 27th July 2015 and recommended continuation of anti-dumping duties in its final findings in Notification No. 15/13/2015-DGAD, dated 30th June 2016. The Ministry of Finance gave effect to said final findings vide Notification No. 42/2016-Customs (ADD), dated 8th August 2016. The existing duties will expire on 7th August 2021.

Product under consideration

5. The scope of product under consideration in the present investigation is “PVC Flex Film”, also known as PVC Flex banner and PVC flex Sheets for advertising signage, billboards and PVC Flex Tarpaulin, etc. The following are excluded from the scope of product under consideration.

- i. PVC Films
- ii. PVC Rigid Films
- iii. Cotton/ Canvas Tarpaulins
- iv. Self-adhesive Vinyl
- v. One way vision film/ perforated window film
- vi. Coloured vinyl
- vii. Mesh Banner/ Fabric

6. PVC Flex film is a multi-layered PVC Film with sandwich lamination of reinforcements textile. The major raw materials required for production are PVC Resin (suspension grade) and DOP. PVC Flex film can be produced either using lamination process or coating process. Under the lamination process, the raw materials along with lubricants, stabilizers, brightening agent, calcium carbonate and other additives are mixed through manual/auto mixers to make PVC compound. The PVC compound is transferred onto a calendar to produce PVC Film. Finally, two layers of PVC film (top and bottom film) are fed along with polyester fabric at the laminators wherein the fabric is sandwiched between two layers of PVC films and is laminated by heat to make a laminated flex film.

7. In the coating process wherein PVC flex film is produced by coating the polyester fabric with PVC. In the earlier investigations, it was concluded that products produced using lamination process or coating process are technically and commercially substitutable.

8. The product is classifiable under Chapter 39 under tariff codes 3920 43 00, 3920 49 00, 3921 12 00 and 3921 90 26. However, the product under consideration has also been imported under tariff codes 3920 99 22, 3920 99 29, 3920 99 32, 3930 99 39 and 3921 90 29. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

Like article

9. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic industry

10. The application has been filed by All India Laminated Fabric Manufacturers Association (AILFMA) on behalf of the domestic producers. The following producers have provided their costing and injury information for the purposes of the application.

- a. Pioneer Polyleathers Limited,
- b. Qrex Flex Private Limited and
- c. SRF Limited.

The applicant producers have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or importer in India.

11. As per evidence available on record, the applicant producers account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the applicant producers as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules.

Basis of alleged dumping

a. Normal value

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy

conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to Rules.

13. The applicant has claimed the normal value for China PR based on the price of exports from an appropriate third country, Korea RP, to India. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value claimed by the applicant. The interested parties may offer their comments with regard to selection of Korea RP as the appropriate third country.

b. Export price

14. The export price for subject goods for the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight expenses.

c. Dumping margin

15. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, is not only above de-minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have continued to be exported at dumped prices, in spite of anti-dumping duty in force.

Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury

16. There is prima facie evidence of likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant has claimed that the imports have declined only due to the duties in force.

Initiation of sunset review investigation

17. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation / recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Country

18. The subject country for the present investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

19. The period of investigation (POI) in the present investigation is as 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods April 2017 – March 2018, April 2018 – March 2019, April 2019 – March 2020 and the period of investigation.

Procedure

20. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/13/2015-DGAD, dated 30th June 2016 recommending continuation of anti-dumping duty on imports of PVC Flex Film from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.

21. The provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and jd15-dgtr@gov.in.

23. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and jd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

31. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses / submissions amongst interested parties

37. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority